प्रार्थीगण स्वयं करे न ही अपने परिवारजन नौकर एजेन्ट आदि से करावें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री फिरोज अली ने अधिकार पत्र एव जवाब दिनांक 20.01.2025 को प्रस्तुत किया जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 1 में आराजियात होना स्वीकार है। हिस्सा होना भी स्वीकार है वादी ने झूठे मनगढंत तथ्यों पर वाद पेश किया है जो खारिज होगा कोई लम्बा समय नहीं लगेगा। कॉलम 2 आराजियात होना स्वीकार है, हिस्सा होना भी स्वीकार है बाकी के तथ्य अस्वीकार है। कॉलम सं. 3 में लिखित तथ्य अस्वीकार है कोई मौखिक बंटवारा नहीं कर रखा है अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दक्षिण दिशा की ओर आम रास्ता सी.सी. रोड़ पर पन्ना भोपाजी के बाडे की दीवार से लगाकर पूर्व दिशा के आम रास्ते तक 1/2, 1/2 हक हिस्सा बंटवारा कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अलग जमाबंदी कायम की जाकर बाकी शेष आराजियात पर बाई मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स बंटवारा किया जाता है तो हमें एतराज नहीं है। कॉलम सं. 4 में लिखित तथ्य अस्वीकार है प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 संयुक्त खातेदार है जिनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे में कोई दखलअन्दाजी नहीं की है न ही लडाई झगडा किया है। इस कारण पक्षवादी विरूद्ध अप्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती यदि जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र में अन्य तथ्य अंकित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज करने आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान कर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया वकील अप्रार्थी ने उक्त प्रस्तुत जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

अतः पत्रावली व दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित पाया जाता है। अतः उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.12.15 18:03:55 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड भूअभिलेख, ...सागर